There has been a mention about Dowry also I assure the House that our Government is taking care of it. Our Prime Minister is very much eager and she is very much concerned about abolition of dowry. We have taken up this matter with top priority, not only at the Governmental level but also at the organisational level.

There has been a mention about a uniform civil code also in the debate. Our Government is very clear so far as this matter is concerned. Enactment of uniform civil code involves amendment to personal laws of minority communities. It is the Government policy not to make any change in the laws of the minority community unless the initiative for the change comes from that minority community itself.

With these few words I would like to thank all the hon. Members of the House who have participated in the Debate and made various points.

MR. CHAIRMAN : The question is : "That the Bill to repeal the Hindu widows' Re-marriage Act, 1956, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : We take up lause-by-clause. The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI GHULAM NABI AZAD) : Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed "

MR. CHAIRMAN : The question is : "That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.33 hrs.

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL. *Contd.*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH):

I beg to move :*

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : Do you want to say anything on this Bill ?

SHRI BUTA SINGH : I am not very keen to make any long speech. The contents of the Bill are known to almost all the Members of both sides of the House. Also, we are now very short of time. I will not take the time of the House. I would only request hon. Members of the House to straightway pass this Bill.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : No, no; we want to speak.

MR. CHAIRMAN : Motion moved : "That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

Mr. Sudhir Giri' to speak.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में अनेक बार बहस हो चुकी है। अब इस पर बहस न कराई जाय और इसको पास करके दूसरे सदन में भेज दिया जाय।

* Moved with the recommendation of the President.

श्री रामावतार शास्त्री : यहां पर डेमोक्रेसी कत्ल करके डिक्टेटरशिप लगा दीजिये। इस तरह से नहीं होगा, हम लोगों को अपना ओपीनयन एक्सप्रेस करने दीजिये।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अनेक बार ओपीनियन एक्सप्रेस की गई है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह सरकारी बिल है।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): Mr. Chairman, Sir, in the Statement of Objects and Reasons, it has been pointed out that the salary at the rate of Rs. 500 per month was admissible to the Members of Parliament as per the Amendment made in 1964. The daily allowance at the rate of Rs. 51 per day was made admissible to the Members of Parliament by a virtue of an Amendment to the Act in 1969. Now, after these amendments, a period of 20 years in the case of salary and a period of 15 years in the case of daily allowance have elapsed and the Minister seeks to justify the claims of the MPs that their salaries and allowances should be increased. It will prima facie appear that the MPs get only the salary and daily allowance and they do not get any other benefits. But, Sir, it is not true. The MPs, in addition to the salary and daily allowance, also get Rs. 1000 per month as other allowances This was previously allowed at the rate of Rs. 500 per month but during the Seventh Lok Sabha, this amount had been increased to Rs. 1000 per month. So, an increase of Rs. 500 had been made for the benefit of the MPs. The Minister has put up an argument that the emoluments of the Members at this rate...

SHRI BUTA SINGH: I have not advanced any argument.

SHRI SUDHIR GIRI: In the Statement of Objects and Reasons, it has been mentioned. This is the argument of the Government. So, it has been stated that the emoluments of the Members of Parliament have become highly inadequate, in addition to the high cost of living. Sir, it is a fact that the cost of living has been very high but at the same time we should look to our own dignity. We represent the people and at this time of high price, the organised sector of workers are getting something but the common people who are living below the poverty line and who also constitute the unorganised sector of the Indian mass do not get any benefit at all and the high price has been affecting their life very seriously. We the representatives of those people cannot say anything to them when they demand that something should be done for them to get at least some relief in these high-price days. It is an act of immorality, I think, when we, the representatives of the people, want to get our salary enhanced, especially when the ruling party has got a brute majority it has to remember that we should not enhance our salary at this stage.

Secondly, the Minister as well as the hon. Members on the other side will call me hypocrite because on other occasions also, when I opposed such Bills, they called me so. They also said that if I did not want it, I should surrender it to the Government. I want to submit that here we are fighting on the basis of a principle. The principle is that the values of the representatives of the people have gone down in the eyes of the people, because they are changing their political colour and political parties quite often and this has created a very sad picture in the eyes of the people. When the next day it appears in the newspapers that the Members of Parliament having got power have enhanced their emoluments, they will not certainly take it very lightly. In the circumstances. I would rather appeal to the Government to refrain from increasing the allowances and salaries as stipulated in the Bill.

Further. in the days of high prices. all sections of people including the organised sections of people are not getting their proper dues. They have been struggling hard to get some benefits in their salaries and emoluments, but they are not getting. They have to face bullets, they have sacrified their lives on many occasions. As a representative of those down-trodden people, I cannot

support this Bill which stipulates an increase in the emoluments of Members of Parliament.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : Mr. Chairman, Sir, in the Business Advisory Committee all of us have agreed to support this Bill.

First of all, I would lik to say that the job of a parliamentarian has now become a full time job. It is not the old time when we were part time parliamentarians, we just came here to legislate Bills. Sir, I represent a constituency where 65% people live in slums. People do not care how you live, what you enjoy but they are concerned with what work you do, and to that extent, if the salaries and emoluments of the Members are increased, or if more amenities are given, they will go a long way in helping us to work for the people. And, therefore, I support the Bill.

I would say that the hon. Minister should go further and make some amenities available to us. I think, we need stenographic assistance, we need people in the constituency who can look after our problems there.

Further. gone are the days when we could travel by train quite frequently. If we travel by air, at least the train fare should be deductable from the air fare so that we can travel throughout the country quickly.

Finally, my Marxist friend talked about simple living. I would say that he should tell his Chief Minister first. The Chief Minister of West Bengal goes in an imported airconditioned car... (*Interruptions*).

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur) : It is absolutely untrue. This should not go on record... (*Interruptions*).

(*Interruptions*)

AN HON. MEMBER : He is not in the House. It should not go on record. It should be expunged.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I have seen the Chief Minister himself going in an imported car only the other days.

MR. CHAIRMAN : Now go to the third point.

DR, SUBRAMANIAM SWAMY : I have no objection to that also. But let us not have this false complex of simplicity. People want productivity. They want work. And if you travel in a car or in a plane, they don't care, but work should be done. From that point of view I think a periodical review of this question should be made and Members should be provided with amenities.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, बिल के उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि 'रहन–सहन के खर्च में वृद्धि को देखते हुए इन दरों पर सदस्यों की परिलब्धियां अत्याधिक अपर्याप्त हैं।"

इस नाम पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते में वृद्धि की जा रही है।

पहला सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि रहन सहन के खर्चे केवल संसद सदस्यों के बढ़े हैं पूरे देश की जनता के बढ़े हैं ? यह दलील गलत है। अगर यह दलील दी जाती कि काम करने की सुविधा इनको मिले, अगर उद्देश्यों में यह बात कहते तो कुछ अक्ल की बात हो सकती थी। लेकिन आप ने यह नहीं कहा। मैं समझता हूं कि इस नाम पर आप नकद रुपया कतई मत दीजिए।

श्री बूटा सिंह : आप इसको उसी तरह से समझ लीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : अगर आप वाकयी में यह चाहते हैं तो आप इस बिल को वापिस लीजिए और दूसरा बिल लाइए। अगर आप

(श्री रामावतार शास्त्री)

चासते हैं कि संसद सदस्य जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक प्रकार से कर सके तो उनको चुनाव क्षेत्रों में जाने के लिए, जनता से संपर्क करने के लिए, संसद में जो हम काम करते हैं उससे उनको अवगत कराने के लिए किसी सवारी का इंतजाम कीजिए। तब यह काम होगा। यह आप नहीं करेंगे। रुपया देंगे। (व्यवधान)

आप इस पर फिर से विचार करिए और दूसरी तरह से लेकर आइये। सेक्रेटेरियल असिस्टेंस देते तब हम समझते, टेलीफोन की सुविधा देते, डाक-टिकट में कोई सुविधा देते तो हम समझते कि आप संसद सदस्यों को उनकी ड्यूटी पूरी करने में मदद देना चाहते हैं। लेकिन आप की मंशा ऐसी नहीं है। न ही यहाँ संसद सदस्यों की यह मंशा है। वे काम करना नहीं चाहते,जनता में नहीं जाएंगे। यहां पर मुश्किल से डेढ़ सौ आदमी क्वश्चन देते हैं और उनमें से भी कितने लोग बोलते हैं। आप रिकार्ड देख लीजिए। सबको रुपया देकर आप एक करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 26 लाख रुपया वेतन वृद्धि में बताया गया है और 75 लाख रुपया....। (व्यवधान)

मैं कह रहा था कि एक करोड़ रुपया हर साल संसद सदस्यों पर खर्च करना चाहते हैं। लगभग 800 संसद सदस्यों पर आप इतना रुपया खर्च करना चाहते हैं।

दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी तथा दूसरे लोग अगर मांग करते हैं तो आप कहते हैं कि पैसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले वित्त मन्त्री ने एलान किया था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की तीन किश्तें बकाया हैं। आप उनको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पास वित्त की कमी है, आर्थिक स्थिति सरकार की कमजोर है। सरकार से एलान भी नहीं किया है कि कब तक देंगी। 36 लाख सरकारी कर्मचारी बार-बार मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी चिन्ता आपको नहीं है। चिन्ता आपको संसद के कर्मचारियों की भी नहीं है कि वे कैसे खाएंगे। पूजा आ रही है, दीवाली आ रही है। आपको किसी की कोई चिंता नहीं है। इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। अगर आप सचमुच में संसद सदस्यों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको आप कुछ सहूलियतें दीजिये, पैसा उनको न दें नकद न दें।

अगर आप इसमें भूतपूर्व सांसदों का जिक्र करते तब भी कोई बात थी। उनका आपने जिक्र नहीं किया। उनकी स्थिति बड़ी ही खराब है, एक्स एम पीज जो हैं, कितने ही लोग उन में से भूखों मर रहे हैं, मैं जानता हूं, बिहार में ऐसे कई लोग हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया है। उनकी तीन सौ से पांच सौ करते या पांच सौ से सात सौ करते तो मैं समझ सकता था कि बुढ़ापे में आपके उनके लिए कुछ किया है या जो अभी वे कर रहे हैं उस में उनकी कुछ सहूलियतें मिली हैं। उनकी चिन्ता आपको नहीं है। उनकी ही चिन्ता है। उनके वास्ते ट्रेन में जाने के लिए पास की व्यवस्था करते तो मैं समझ सकता था। मैं चाहता हूं कि इस विल को आप आपिस लें और अगर आप चाहते हैं कि लोग ठीक से काम करें तो सोच समझ कर दूसरा विल आप लाएं जिस में भूतपूर्व सांसदों की भी बात रहे, आपकी भी बात रहे और काम करने में सहूलियत भी हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं। मैं जानता हूं कि इस बिल को आप वापिस नहीं लेंगे, इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मैं इस विल का पूर्णतः सतर्थन करता हूं। इस

राजनीति के कार्य में इमानदारी, निष्पक्षता और स्वच्छता जीवन में अत्यन्त आवश्यक है। यदि हम अपने कार्य को सुचारु रूपसे और जनता के हित में करना चाहें तो हमें यह देखना होगा कि जो कुछ हमें मिल रहा है क्या उस में हम जनता की सेवा कर सकते हैं। आज दुनिया की जितनी पार्लिमेंट्स हैं, जितने देश हैं और हम से भी गरीब हैं, उन सब पार्लिमेंट्स के मैम्बर्ज को भी हमारे देश की पार्लिमेंट के मैम्बरों से ज्यादा एमालुमेंट्स मिलते हैं, यह निर्विवाद है, सत्य है। मैं इसमें अधिक समय नहीं लूंगा...

(*Interruptions*)

AN HON. MEMBER :**

श्री रामावतार शास्त्री : **कौन है ? **वोली बात क्या रिकार्ड में जाएगी ? हम लोग** हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी लगा दी है ? ये लोग ऐसी बात करते हैं।

It Should be Expunged. Why does he say so ?

MR. CHAIRMAN : Noted.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : That should not go on record. (*Interruptions*)

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : यह बात सही है कि देश में बहुत से लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, उसको पूरा करने के लिए,......हमारा जो लोक सभा क्षेत्र है, उस में घूमने के लिए और जो डेढ़ दो सौ मील लम्बा होता है, कितना खर्चा करना पड़ता है यह आप उस आदमी से पूछिये जो वास्तव में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता है। वह इन एमालुमैंट्स में उसको पूरा नहीं कर सकता है।

मेरा कहना यह है कि यह अपशनल चीज़ हो जानी चाहिये। जो लोग बढ़ी हुई तनख्वाह या पहले वाली भी तनखवाह लेना नहीं चाहते हैं तो वे अपनी पार्टी के पीलिट्ब्यूरो में तय करा दें कि हम नहीं लेंगे, तो हम समझ लेंगे।

जो नहीं लेना चाहते. उनके लिये औवशनल है। उनकी पार्टी तय कर दे कि हमारा कोई सदस्य एक पैसा लिए वगैर लोक-सभा में कार्य करेगा। हम उनकेब ड़े मश्कूर होंगे. आभारी होंगे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग एम. पी. न रहें, भूतपूर्व हो जायें, उनके लिए आप एक टेलीफोन की फ्री व्यवस्था करें, रेल का उन्हें फस्टक्लास का पास दें। हम लोगों के लिए स्टेनोग्राफर्स का प्रबन्ध किया जाये, कांस्टीटुएन्सी में जाने के लिए जीप दीजिए। जैसा आपने कमिटमेंट किया था, 1 अप्रैल 1983 से इसको लागू कीजिए।

मैं वहुत अधिक नहीं कहता, इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि कमेटी ने तय किया था कि सदस्यों को 100 रुपये भत्ता दिया जाये, लेकिन उन्होंने इसको 75 रुपये ही किया है। मैं निवेदन करूंगा कि यह भत्ता 100 रुपये ही करना चाहिए। मुझे उमीद है कि वह बहुत जल्दी ही इस भत्ते को 100 रुपये प्रतिदिन करेंगे ओर एक अप्रैल, 1983 से लागू करेंगे।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad) : I like that all the members irrespective of party should follow the reasons which I am going to place before the House. What should be the basis of assessing the salary and allowances of the Members of Parliament ? Why should it be Rs. 500/- or Rs. 750 or Rs. 10,000

**Expunged as ordered by the Chair.

(Shri A.K. Roy)

whatever it is? There should be some rationale behind it. After all, the MPs symbolise a certain image, ideals before the society. What type of ideals we are going to place before the society so that they can follow them ? Nothing has been said about it here. Are we really poor ? How much does the nation pay for an MP ? How much does the nation spend for an MP ? We must know about it. We say we are poor ; we cannot pull like this What type of a country are we living in ? What is the cost on an MP each hour during the parliamentary session ?

श्री वंशी लाल (भिवानी) : एम. पी. ज की कास्ट नहीं है, इसकी कास्ट है ।

SHRI A. K. ROY : You are not young people like this side ; you are talking like that.

SHRI BANSI LAL : I know you very well.

18.00 hrs.

SHRI A. K. ROY : Each hour of a parliamentary session costs the country Rs. 48,000/-. Each day of a parliamentary session costs the country Rs. 3.39 lakhs. Each question asked by a member and answered by the government means an expenditure of Rs. 800/. (*Interruptions*) An M.P.'s monthly salary is Rs. 500/- and daily allowance is Rs. 51/- when the House is in session. They have not been increased since last year. Their secretariat and postal expenses have been increased from Rs. 500/- to Rs. 1,000/-. There are free medical facilities for them. Free medical facilities apart, free educaton etc. etc. are there. And 15,000 telephone calls are allowed free. An MP's telephone Bill roughly comes to Rs. 38,228 per year and with all facilities we, M.P.s, cost the exchequer a lot. An M.P. costs about one lakh of rupees to the country. In this way, the Members of Parliament, with all the amenities and salaries, they are the highest paid in the country. Even the President of India is not paid so much.

Now-a-days even Ministers are getting less tham the Members of Parliament. That is why there are so many vacancies of Ministers in the country. I have been told that no M.P. is ready to become a Minister. I tell you, Sir, that No. 1, Safdarjang Road has been completely empty. People are afraid of going there. Anybody who goes there will be caught.

I like to mention one thing—rather two things I am saying.

I am giving some constructive suggestions to the Minister. One constructive suggestions is that this House should... (*Interruptions*)

Two constructive suggestions I am giving for the Minister. One is the basis of calculating the salaries etc., of Members should be changed. My suggestion is that the salary of a Member should be the per capita income of the country. It should be a variable salary. Just as for the employees we suggest variable D.A. the M.P.'s salary should be variable salary. It should vary with the cost of living : it will vary with the per capita income. Because, the House is the guardian of the country If the per capita income of the people increases our salary should increase. If the per capita income diminishes our salary should diminish. Because we are all responsible people.

SHRI BANSI LAL : He is holding the House to ransom.

SHRI A. K. ROY : Then, multiply it by the number of members of the family of the M.P. It should not exceed three, If you have more than three children the facilities will not be allowed.

Second point is, (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER : What is your basis ?

SHRI A.K. ROY : The basis is per capita income.

SHRI BHIKU RAM JAIN (Chandni Chowk) : On a point of informations, what has it cost the exchequer for the time he has taken for speaking in the House. (*Interruptions*)

SHRI A. K. ROY : I am concluding now. This is my first concrete and constructive proposal to the Minister that the salary should be variable salary. Second point is, Sir, there should be a provision for option. So, the third point is, they have committed some procedural wrong by introducing the Bill today and passing it today itself so that we have no time to give any amendments.

SHRI BANSI LAL : You wasted the whole day.

SHRI A. K. ROY : Option should be provided to the Members. Those who need more money they can fill up that form and get the money Those who do not need additional money they need not fill up the form and they need not draw it.

So, it may be inserted in this amendment that 'Notwithstanding anything contained in the Bill in Clauses 1 and 2 an option may be given to the hon. Members and those who want may opt for the new provisions.'

With these two constructive suggestions I oppose the Bill.

MR. CHAIRMAN : Shri Bhogendra Jha.

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : माननीय सभापति जी, हमारे मित्र बहुत जल्दी में हैं इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा एक बात सामने आई है जिसका मतलब यह है कि ऊपर से कुछ कहते हैं और भीतर से कुछ कहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले मन्त्री जी को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि क्षेत्र में प्रत्येक तिमाही दो तीन सौ मील चलने के लिए सरकार की ओर से जीप दी जाए क्योंकि हमारी यह सामर्थ्य नहीं है कि मुफ्त की भी जीप मिले तो हम उसको चला सकें। इस उम्र में भी मैं मोटर साइकल पर अपने क्षेत्र में यात्रा करता हूं।

आपने नकद बढ़ाने की जो बात रखी है, मेरा अभी भी आपसे आग्रह होगा कि नकद बढ़ाने के लिए और भत्ता बढ़ाने के लिए हम लोग यहां पर नहीं आए हैं। सभी सदस्य यह कहते हैं कि आखिर कम्युनिस्ट सदस्य क्या करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सी पी आई और सी पी एम का प्रत्येक सदस्य हर महीने साढ़े सात सौ रुपये अपनी पार्टी के लिए देता है। इसलिए आपको इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिए, अगर आप बढ़ाते हैं तो हमारी पार्टी की लेवी भी बढ़ जायेगी। इसलिए हमारी फिक्र आप मत कीजिए। हम इस पैसे का यथासम्भव ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करेंगे। लेकिन अभी भी मेरा आपसे आग्रह है कि आप नकद वृद्धि मत कीजिए बल्कि आप मेम्बरों को ऐसी मदद दीजिए जिससे कि उनको काम करने में सहूलियत हो सके। मैंने जो पत्र लिखा था उसका जवाब भी मन्त्री जी ने नहीं दिया है हालांकि आम तौर से वे उत्तर देते हैं। अभी भी मेरा आपसे आग्रह है कि मैं केवल विरोध के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, जिस भावना से मैं यह बात कह रहा हूं जिसको देखते हुए इसको वापिस लेकर हमें इसका विरोध करने के लिए मजबूत न करें।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्री नगर) : चेयरमैन साहब, मैं खुद असेम्बली का मेम्बर रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि 51 रुपये जो यहां पर हमें मिल रहे हैं वह वहां भी हमें मिलते थे। उसके मुकाबले में एक पार्लमेंट की कांस्टीट्एन्सी में बहुत सारे असेम्बली सेगमेन्ट्स होते हैं। मैं समझता हूं यह बेइन्साफी होगी अगर मेम्बर पार्लमेन्ट की रेक्वायमेन्ट्स को यह हाउस पूरा न करे। बुनियादी बात यह है कि लम्बी कांस्टीटुएन्सी होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के बहुत ज्यादा अखराजात पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अपनी कांस्टीटुएन्सी के इलाकों में, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या पिछड़े इलाके हैं वहां पर कैसे पहुंचते हैं? अगर घर पर ही बैठे

(श्री अब्दुल रशीद काबुली)

रहना हो तो बात दूसरी है लेकिन अगर उन इलाकों तक पहुंचना हो तो ट्रांसपोर्ट के अखराजात किस तरह से पूरे होंगे—यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेम्बर पार्लमेन्ट को रेलवे की फैसिलिटी है, तमाम जगहों पर वह रेलवे से जा सकता है लेकिन जहां पर रेल नहीं हैं वहां पर वे कैसे पहुंचेंगे ? हमारे नामग्याल साहब लेह (लद्दाख) से यहां पर मेम्बर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि वहां पर कैसे बारबरदारी का काम होता है और ट्रांसपोर्ट का क्या सिलसिला है। वहां पर कोई रेल नहीं है इसी तरह से असम के बहुत से इलाके हैं, नेफा है, नार्दन यू. पी. है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के इलाके हैं जहां पर प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज़ हैं।

दूसरी बात यह है कि संसद सदस्य का पार्ट टाइम जॉब यह नहीं है, होल-टाइम जॉब है। इसके लिए आपको जुट कर काम करना है। इसके लिए अगर आप उनको डिफिकल्टीज़ में डाल देंगे तो वकालत का पेशा साथ चलायेंगे, कोई और धन्धा करेंगे या कोई और काम करेंगे। आज समय का तकाजा है कि हमें इसकी हिमायत करनी चाहिए। मैं पैसे के मामले में इतना ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि हम लोगों की सबसे बड़ी डिफीकल्टी ट्रांसपोर्ट की है, इस पर मंत्री जी को गौर फरमाना चाहिए। एक एम. पी. को दस लाख या आठ लाख की नुमाइन्दगी करनी पड़ती है, इसलिए सरकार को कोई मुस्तकिल इन्तजाम करना चाहिए, ताकि वह लोगों तक पहुंच सकें और उसको सुविधा मिल सके। जब एम. पी. को इतने बड़े क्षेत्र को दौर करना पड़ता है तो ट्रांसपोर्ट कोई लग्जरी नहीं है, यह नैसेसिटी है।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की हिमायत करत हूं

شری عبدالرشید کابلی

چیئرمین صاحب ۔ میں خود اسمبلی کا ممبر رہا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ۱۵ روپے جو یہاں پر ہمیں مل رہے ہیں وہ وہاں بھی ہمیں ملتے تھے ۔ اس کے مقابلے میں ایک پارلیمنٹ کی کانسٹی چیوئنسی میں بہت سارے اسمبلی کانسٹی چیوئنسی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بے انصافی ہوگی اگر ممبر پارلیمنٹ کی ریکوائرمینٹس کو یہ ہاؤس پورا

نہ کرے ۔ [illegible] بات یہ ہے کہ بڑی کانسٹی چیوئنسی ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے بہت زیادہ اخراجات پڑتے ہیں ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اپنی کانسٹی چیوئنسی کے علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں یا پتھریلے علاقے ہیں وہاں پر کیسے پہنچے ہیں ۔ اگر گھر پر ہی بیٹھا رہنا ہوں بات دوسری ہے لیکن اگر ان علاقوں تک پہنچنا ہو تو ٹرانسپورٹ کے اخراجات کس طرح سے پورے ہوتے ہوں گے ۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ۔ ممبر پارلیمنٹ کو ریلوے کی فیسلیٹی ہے ۔ تمام جگہوں پر وہ ریلوے سے جا سکتا ہے لیکن جہاں پر ریل نہیں ہے وہاں پر وہ کیسے پہنچیں گے ۔ ہمارے ہمارے نام [illegible] صاحب لیہہ (لداخ) سے یہاں پر ممبر ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیسے بار برداری کا کام ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ کا کیا سلسلہ ہے ۔ وہاں پر کوئی ریل نہیں ہے اس طرح سے آسام کے بہت سے علاقے

ہیں - تیقا ہے ، اندرون یو۔پی سے ، ہماچل پردیش ، [illegible]ں کشمیر کے علاقے ہیں جہاں پہ پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں -

دوسری بات یہ ہے کہ منسٹر صاحب کا پارٹ ٹائم جاب یہ نہیں ہے - فل ٹائم جاب ہے - اس کے لئے آپ کو بیٹھ کر کام کرنا ہے - اس کے لئے اگر آپ ان کو ڈفیکلٹیز میں ڈال دیں گے تو وکالت کا پیشہ ساتھ چلائیں گے - کوئی اور دھندا کریں گے یا کوئی اور کام چلائیں گے - آج سمے کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہئیے -

میں پیسے کے معاملے میں اتنا زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں - میں چاہوں گا کہ ہم لوگوں کی سب سے بڑی ڈیفیکلٹی ٹرانسپورٹ کی ہے اس پر منتری جی کو غور فرمانا چاہئیے - ایک ایم۔پی کو دس لاکھ یا آٹھ لاکھ کی آبادی کو کور کرنا پڑتی ہے اس لئے سرکار کو کوئی متبادل انتظام کرنا چاہئیے تاکہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور اس کو [illegible] سکے

جب ایم۔پی کو اتنے بڑے چھیتر کا دورہ کرنا پڑتا ہے تو ٹرانسپورٹ کوئی لگژری نہیں ہے یہ نیسیسٹی ہے -

ان الفاظ کے ساتھ میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں -

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सभा पति महोदय, जैसा कि मैंने आरम्भ में जिक्र किया, मैंने उस वक्त भी कोई जान-बूझकर स्पीच इसलिए नहीं दी थी, क्योंकि यह तो सदस्यों का अपना मसला है। इसमें एक पक्ष या दूसरे पक्ष का बात नहीं है, यह सारे परिवार की बात है। वे चाहे उधर बैठे हों या इधर बैठे हों। यह कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा बहुत दे रहे हैं। इसको सैलरीज़ टैक्नीकल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह तो देश के लोगों की सेवा करने के लिए दे रहे हैं। सदस्यगण यहाँ कोई सैलरी लेने के लिए नहीं आते हैं, वे लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। इसलिए सभी सदस्यगणों से प्रार्थना है, यह ठीक है कि कांस्टीचूशन के अन्तर्गत इसको सैलरी एलाउन्स कहना पड़ता है। यह माननीय सदस्यों को इसलिए दी जाती है कि वे अपनी जनता की सेवा कुशलता के साथ कर सके इसमें आंकड़े जोड़ना, स्टैटिसटिक्स देना कहां तक वाजिब है और कहां तक वाजिब नहीं है, यह आज स्पीच का विषय नहीं हो सकता, है क्योंकि माननीय सदस्यों की कान्स्टीचूयेंसी काफी वसीह है। एक बात मैं यहां पर कह देना चाहता हूं कि आप चुन कर यहां आते हैं, तो भारत आपकी कान्स्टीचूयेंसी हो जाता है। जब इतनी बड़ी कान्स्टीचूयेंसी हो और पूरे देश को कान्स्टीचूयेंसी माने तो माननीय सदस्य जम्मू को यदि जरूरत पड़े तो कन्याकुमारी तक जाना होता है। मैं यह मानता हूं कि इस वक्त जो हम प्रयास कर रहे हैं, इससे माननीय सदस्यों को सहूलियत मिले, जो कि आइडल होनी चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं—दो प्रकार के सदस्यगणों ने इसमें हिस्सा लिया है। एक तो जिन्होंने इसका समर्थन किया और एक वे जिन्होंने इसका विरोध किया। यह भी इत्तिफाक की बात है कि विरोध करने वाले सी पी एम और सी पी आई के सदस्यगण है। श्री भोगेन्द्र झा ने एक राज की बात कह दी कि उनको तो कुछ मिलने वाला

(श्री बूटा सिंह)

नहीं है, जो बढ़ेगा वह उनकी पार्टी ले जाएगी इसलिए मैं समझ सकता हूं कि उनके दिल में क्यों विरोधाभास है। उनको तो जो पॉकेट एलाउन्स पार्टी देती है, उनको लेना पड़ता है... (व्यवधान) आप क्यों मुझे कहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मुझे कहना पड़ेगा—अल्लाह अल्लाह आज उनको पारसा कहना पड़ा, जिनसे मुद्दतों हमारा प्यार का नाता रहा। मैं जानता हूं वहां पर क्या होता है।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप भी वैसा करें, तो अच्छा है। (व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : पॉकेट एलाउन्स मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक डिब्बा चाय मिलती है। दाल मिल जाती है, चावल मिल जाते हैं और इसके अलावा जो कुछ होता है, वह पार्टी के पास चला जाता है। बरहाल, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि उनकी पार्टी के रिसोर्सेजि को थोड़ा सा फायदा हो सकता है तो उनको होने दीजिए, आप पार्टी के खिलाफ काम न करें।

सभापति जी, मैं मानता हूं यह जो हमारे मन के ऊपर असर रहता है कि कल अखबार में छपेगा तो लोग कहेंगे कि एम. पी. ज़ा ने अपनी सैलरी बढ़ा ली, लेकिन हमारे कर्मचारियों की, लोक सभा के कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा—यह बहुत विचार करने के बाद बहुत सोचने के बाद और जो ज्वाइन्ट सिलैक्ट कमेटी ने कहा था, वह भी नहीं कर पाये हैं, उस से थोड़ा ही कर पाये हैं। इसके पीछे भावना यही है कि इस से मेम्बर्स को कुछ सहूलियत हो सके। गाड़ियां उपलब्ध कराना एक बहुत पेचीदा सा मसला है, कहां-कहां, किस-किस राज्य में उसका बन्दोबस्त किया जाए, यह एक ऐसी समस्या है जैसे किसी बच्चे ने कोई चीज़ मांगी, तो मां-बाप ने कहा कि मुझे फुरसत नहीं है, तुम पैसा ले जाओ और ले लो। यह जो थोड़ी सी बढ़ोत्तरी कर रहे हैं इस का मकसद सिर्फ यही है कि आप काबिल हो जांय कि बस में बैठ कर या गाड़ी में बैठ कर जा सकें। शास्त्री जी अगर इस को फैसिलिटी मानना चाहते हैं तो फैसिलिटी मान लें।

श्री रामावतार शास्त्री : क्यों मान लें।

श्री बूटा सिंह : प्राइवेट में जब सदस्य मिलते हैं तो मुझे याद है, कहते हैं कि तुम को करना हो तो करो, लेकिन जल्दी कर दो।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो आप के लोग कहते हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : वे कहते हैं कि हाउस में हम बिरोध करेंगे, लेकिन वैसे हम चाहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं जो यहां कहता हूं वही बाहर कहता हूं।

श्री बूटा सिंह : मैं यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस में मैरिट्स और डीमैरिट्स की बात नहीं है इस में यह देखने की बात है कि हमारे सदस्यगण जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की सेवा कुशलता से कर सकें। इसी दृष्टि से यह प्रयास किया गया हैं और मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इस को इसी भावना से लेंगे। इस को सैलरी या एलाउन्स न मान कर, इस से उनको अपने लोगों की सेवा करने में सुविधा मिल सकेगी।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि सैक्रेटेरियट एस्सिटेंस होनी चाहिए, टेलीफोन की एस्सिटेंस

होनी चाहिये ।

श्री बंशी लाल : टेलीफोन की काल्ज़ जरूर बढ़ा दीजिए ।

श्री बूटा सिंह : जैसे-जैसे समय आयेगा, वह उस के मुताबिक होगा ।

एक बात मैं शास्त्री जी से कहना चाहता हूं—उनको साबका सदस्यों की सुविधा के लिए बहुत फिक्र है और उन्होंने कहा है कि उन के बारे में इस में कुछ नहीं किया गया है । यह बात दूसरे सदस्यों ने भी बातचीत के दौरान मुझ से कही है । मालूम नहीं शास्त्री जी साबका होने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं ? उन को तो एक फिक्र होनी चाहिये थी कि अभी जो मिल रहा है उसकी कोशिश करें । फिर भी उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उन को लेकर मैं वित्त मन्त्री जी से बात करूंगा कि जो हमारे साबका मेम्बर हैं—हो सकता है कि कल वे साबका न रहें—उन के लिए भी गौर किया जाय ।

मेरा नम्र निवेदन है कि अब इस पर ज्यादा चर्चा न कर के शीशे में अपना ही मुंह देख रहे हैं तो हंसते-हंसते देखना चाहिये, हाथ में उस्तरा ले कर नहीं देखना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN : By and large it has been a very pleasant Bill. I shall now put the motion for consideration of the Bill to the vote of the House.

The question is :

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1 were added Enacting Formula and the Title.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BUTA SINGH : Sir, I beg to move.

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.20 hrs.

ARREST OF MEMBERS

MR. CHAIRMAN : I have to inform the House that the following communication dated 26th August, 1983, addressed to the Speaker, Lok Sabha, by the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi has been received to-day :—

"I have the honour to inform you that Smt. Gayatri Devi, Smt. Suseela Gopalan and Smt. Pramila Dandavate, Members of Lok Sabha along with their party workers voluntarily violated Prohibitory Orders promulgated under section 144 Cr. P.C. at Irwin Statue at about 1.30 P.M. to-day (*i.e.* 26.8.83). They were arrested